

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 03 / 2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री टेकचन्द बलाना पुत्र श्री दयालचन्द बलाना निवासी गांधीपार्क के पास, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

मैसर्स :- टेकचन्द एण्ड सन्स, मेन मार्केट श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

विक्रेता एवं मालिक

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 11.10.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये हैं।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को दोपहर 02.00 पी.एम. पर फर्म मै. टेकचन्द एण्ड सन्स, मेन मार्केट श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री टेकचन्द बलाना पुत्र श्री दयालचन्द बलाना निवासी गांधीपार्क के पास, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखे नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड 400-400 ग्राम के 40 किलो पोलि पैक नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड विक्रय हेतु रखा था। वास्ते नमूना जांच 4 पोलि पैक नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड लिया जिसके पेटे 160/- रूपये नगद देकर गवाहान, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड को एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड के लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1120 दर्ज किया। प्रत्येक



लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1120 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1120 नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता टेकचन्द बलाना ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/294/एक्ट/2020/281 दिनांक 19.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-1120 नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड अमानक स्तर (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री टेकचन्द बलाना मैसर्स टेकचन्द एण्ड सन्स, मेन मार्किट श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.11.2020 को मेरे प्रतिष्ठान से नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड का नमूना लिया गया था जो मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से सहमति से जुर्म स्वीकार करता है तथा निवेदन करता है तथा मन अप्रार्थी जो कि 73 साल का वरिष्ठ नागरिक है तथा हृदय रोगी व घुटनों की प्रॉब्लम के कारण काफी तंग व परेशान रहता है। अतः मन अप्रार्थी की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एवं वरिष्ठ नागरिकों को दिये जाने वाले आवश्यक लाभ को देखते हुए एवं नरमी का रूख अपनाते हुए जुर्म की माफी प्रदान की जावे। अप्रार्थी न्यायालय को यह भी विश्वास दिलाता है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड का सैम्पल के-1120 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/294/एक्ट/2020/281 दिनांक 19.11.2020 द्वारा मिस ब्राण्ड होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा



(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.11.2020 को मेरे प्रतिष्ठान से नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड का नमूना लिया गया था जो मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से सहमति से जुर्म स्वीकार करता है तथा निवेदन करता है तथा मन अप्रार्थी जो कि 73 साल का वरिष्ठ नागरिक है तथा हृदय रोगी व घुटनों की प्रॉब्लम के कारण काफी तंग व परेशान रहता है। अतः मन अप्रार्थी की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एवं वरिष्ठ नागरिकों को दिये जाने वाले आवश्यक लाभ को देखते हुए एवं नरमी का रूख अपनाते हुए जुर्म की माफी प्रदान की जावे। अप्रार्थी न्यायालय को यह भी विश्वास दिलाता है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड Sample of "Namkeen" (चौधरी एण्ड चौधरी) bearing Code No. and Sr. No. K-1120 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006 की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त टेकचन्द बलाना पुत्र श्री दयालचन्द - फर्म टेकचन्द एण्ड सन्स, मेन मार्केट श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त टेकचन्द बलाना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रुपये 15,000-00 (अखरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में नमकीन भुजिया चौधरी एण्ड चौधरी ब्राण्ड बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भवामी सिंह पँवार)
न्याय निर्णायक (अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक))
श्रीगंगानगर